आई एस एस एन 0971-9873

आई सी एम आर पत्रिका

वर्ष-29, अंक-10-11

अक्टूबर-नवम्बर, 2015

इस अंक में

- बाल यौन शोषण : एक बहुआयामी समस्या 101
- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान, (आई सी एम आर) द्वारा द्वितीय प्रो. पी.पी. तलवार व्याख्यान का आयोजन 104
- स्मृति शेष - डॉ विनोद प्रकाश शर्मा 105
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के समाचार 106
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गतिविधियों में आई सी एम आर के वैज्ञानिकों की भागीदारी 107
- आई सी एम आर की वित्तीय सहायता में सम्पन्न एवं भावी संगोष्ठियां/सेमिनार/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/सम्मेलन 108

संपादक मंडल

अध्यक्ष — डॉ सौम्या स्वामीनाथन
सचिव, भारत सरकार
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं
महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान
अनुसंधान परिषद

प्रमुख, प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग — डॉ विजय कुमार श्रीवास्तव

संपादक — डॉ कृष्णानन्द पाण्डेय

प्रकाशक — श्री जगदीश नारायण माथुर

बाल यौन शोषण : एक बहुआयामी समस्या

बाल यौन शोषण की समस्या विश्व भर में व्याप्त है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। परन्तु भारत में यौन शोषण की सभी घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पातीं और इस समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। हाल ही में केरल में किशोरवय में यौन शोषण की व्यापकता पर सम्पन्न एक अध्ययन से पता चला है कि 36 प्रतिशत लड़के और 35 प्रतिशत लड़कियां किसी-न-किसी समय यौन शोषण का शिकार हुई हैं। भारत सरकार द्वारा कुल 17,220 बच्चों और किशोरवय पर इसी प्रकार संपन्न एक अध्ययन में भी चौकाने वाले परिणाम देखने को मिले। यह पाया गया कि देश का प्रत्येक दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार हुआ था जिनमें लड़कों की संख्या 52.94 प्रतिशत और लड़कियों की 47.06 प्रतिशत थी। बाल यौन शोषण की अधिकतम घटनाएं असम (57.27%) में थीं, इसके पश्चात दिल्ली (41%) आंध्र प्रदेश (33.87%) तथा बिहार (33.27%) का स्थान था।

यौन शोषण और यौन व्यापार की उच्च व्यापकता भारत की गंभीर समस्याओं में से एक है। विगत दो दशकों में बच्चों में यौन संचारित रोगों की उपस्थिति बढ़ी है। अपराधी बहुधा यौन शोषित बच्चे की जान पहचान का होता है। इसलिए, बाल यौन शोषण की समस्या को स्पष्ट तौर पर और अधिक कड़े दण्ड के साथ दूर करने की आवश्यकता है। बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े जघन्य अपराधों को कारगर ढंग से दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में *प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज़* (POCSO) अधिनियम पारित किया गया। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से वैधानिक व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता, कोड दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 और POCSO 2012 में संशोधन किया गया। क्रिमिनल लॉ (संशोधन) ऐक्ट 2013 में पीछा करने, निर्वस्त्र करने, यौन व्यापार करने तथा एसिड से हमला करने पर भी दण्ड का प्रावधान किया गया है।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ऐक्ट, 2012)

इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों (चिल्ड्रेन) को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। बाल यौन शोषण की परिभाषा बृहत् है जिसमें सम्मिलित हैं : (i) प्रवेशन लैंगिक हमला, (ii) गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला, (iii) लैंगिक हमला, (iv) गंभीर लैंगिक हमला, (v) यौन उत्पीड़न, (vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक/बालिका का प्रयोग करना, और (vii) लैंगिक प्रयोजनों के लिए बालक/बालिका का अवैध व्यापार करना। जब शोषित बालक/बालिका मानसिक रोगी हो अथवा यौन शोषण पीड़ित के परिचित व्यक्ति द्वारा किया गया है अथवा उससे संबद्ध किसी प्राधिकारी वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया गया हो, ऐसी स्थिति में अपराध गंभीर श्रेणी का होता है। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दण्ड का

प्रावधान है जिसमें अधिकतम आजीवन कठोर कारावास और अर्थदण्ड सम्मिलित है।

पोक्सो (POCSO) अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पीड़ित का पुनः उत्पीड़न नहीं हो, पूरी न्यायिक प्रक्रिया पीड़ित के प्रति अनुकूल वातावरण में होनी चाहिए और उसके सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि महत्व दिया जाए । इसमें अपराध की रिपोर्टिंग करने, प्रमाण की रिकॉर्डिंग करने, अपराध की जांच करने और मनोनीत विशेष न्यायालयों के माध्यम से बन्द कमरे में (इन-कैमरा) तथा पीड़ित बालक/बालिका की पहचान बताए बिना त्वरित मुकदमा चलाने के संबंध में बालक/बालिका के प्रति अनुकूल प्रक्रियाएं अपनाना सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत विशेष न्यायालय को यौन पीड़ित बालक/बालिका के लिए मुआवजा राशि के निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिससे वह धनराशि पीड़ित के चिकित्सीय उपचार और पुनर्वास पर व्यय किया जा सके।

मौज़ूदा विधिक ढांचे में चिकित्सकों की भूमिका

इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पीड़ित बालक/बालिका की मेडिकल जांच प्रक्रिया बहुत कम दुखद हो। इस अधिनियम में इसका स्पष्ट वर्णन है कि चिकित्सक को इलाज़ अथवा जांच की शुरुआत करने से पहले किसी वैधिक रिकॉर्ड अथवा वैधिक प्रक्रिया अथवा प्रलेखन प्रक्रिया पूरी करने की मांग नहीं करनी चाहिए। ये सभी वैधिक प्रक्रियाएं चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करने की शुरुआत करने के बाद की जा सकती हैं। बाल यौन शोषण का शिकार बने सभी पीड़ितों के मामले को चिकित्सकों द्वारा एक मेडिको-लीगल केस (चिकित्सा-विधिक मामला) दर्ज करना अनिवार्य है। रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में POCSO अधिनियम 2012 की धारा 21 के अन्तर्गत 6 माह के कारावास और/अथवा जुर्माना देने का प्रावधान है। चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करने वाले एक पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाहियों में सम्मिलित हैं : (i) एक पूर्ण चिकित्सीय जांच के उपरांत साक्ष्य एकत्र करना, (ii) शारीरिक और लैंगिक चोटों का इलाज करना, (iii) पीड़ित की आयु का आकलन करना, यदि आवश्यकता हो, (iv) एच आई वी सहित यौन संचारित रोगों के लिए रोगनिरोधी सेवा उपलब्ध कराना, (v) किशोरवय बालकों/बालिकाओं और उनके अभिभावकों के साथ आपातकालीन गर्भनिरोध के विषय में चर्चा करना, (vi) मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए आधार भूत मूल्यांकन करना, (vii) मनश्चिकित्सीय विकारों की शुरुआत को ज्ञात करने के लिए कम से कम 6 माह तक मासिक फॉलो अप करना, (viii) पीड़ित परिवार के सदस्यों को परामर्श देना, और (ix) न्यायालय में साक्ष्य देने और पीड़ित बालक/बालिका का साक्षात्कार करने में न्यायालय को सहायता प्रदान करना।

इस कानून में एक और महत्वपूर्ण धारा यह सम्मिलित की गई है कि भारतीय संविधान के अधिकार क्षेत्र में कोई भी अस्पताल बाल यौन शोषण से पीड़ित बालक/बालिका की जांच करने अथवा उसका इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता। इस पहलू को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 23 में पुनः बल दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत सभी अस्पतालों को यौन अपराध से पीड़ितों को फर्स्ट एड अथवा शुरुआती चिकित्सीय इलाज निःशुल्क प्रदान कराना जरूरी है। संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 B में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि निजी अथवा सार्वजनिक कोई भी अस्पताल किसी बलात्कार पीड़ित को चिकित्सा प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकता। चिकित्सा तत्काल और निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। यदि बलात्कार की घटना में अस्पताल के किसी कर्मचारी की भूमिका पाई जाती है तो इस कानून के अंतर्गत उसके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दण्ड का प्रावधान है।

कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां और विवाद

बाल यौन शोषण एक बहुआयामी समस्या है जिसके साथ वैधानिक, सामाजिक, मेडिकल और मनोसामाजिक पहलू जुड़े हैं। इस कानून में निम्नलिखित पहलुओं पर कार्यवाही अपेक्षित है :

सहमति : यदि कोई बालक/बालिका/किशोरवय मेडिकल जांच कराने से मना करता अथवा करती है, परन्तु उसके परिवार के सदस्य अथवा जांच अधिकारी मेडिकल जांच कराने पर जोर देते हैं तो इस स्थिति में POCSO अधिनियम में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे मामलों में 'सहमति' पहलू को तत्काल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। परन्तु, यदि पीड़ित की आयु 12 वर्ष से कम है तो माता-पिता से सूचित सहमति प्राप्त करना उचित होगा और यदि पीड़ित की आयु 12-18 वर्ष के बीच है तो माता-पिता और पीड़ित दोनों की सहमति लेना उचित होगा। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में पीड़ित का जीवन बचाने के लिए वैधानिक अथवा सहमति संबंधी पहलुओं पर कार्यवाही के बिना इलाज की शुरुआत की जानी चाहिए।

चिकित्सीय जांच : POCSO अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत यदि पीड़ित किशोरवय लड़की है, तो मेडिकल जांच किसी महिला चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि, कानून में प्रावधान है कि आपातकालीन मेडिकल सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी की सेवा ली जानी चाहिए। इसके विपरीत, भारतीय दण्ड संहिता के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 166 A के अनुसार बलात्कार पीड़िता की बिना चूक जांच के लिए ड्युटी पर मौजूदा सरकारी चिकित्सा-अधिकारी को आदेश प्राप्त है। महिला चिकित्सक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में परस्पर विरोधी कानूनी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

चिकित्सा व्यय : इस कानून के अन्तर्गत चिकित्सीय संघ और चिकित्सीय प्रतिष्ठान की नैतिक बाध्यता है कि जीवित पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करें। यदि उपयुक्त सुविधा का अभाव है अथवा महंगी चिकित्सीय प्रक्रिया की आवश्यकता हो तो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए। वरना हो सकता है कि अस्पताल पीड़ित के इलाज में उपयुक्त चिकित्सा प्रक्रिया नहीं अपनाए अथवा पीड़ित को बृहत चिकित्सा सेवा से वंचित रखे।

सहमतिपूर्ण लैंगिक घनिष्ठता : POCSO अधिनियम 2012 के अंतर्गत दो किशोरवय अथवा एक किशोरवय और एक वयस्क

के बीच लैंगिक संबंध स्थापित किए जाने को अवैध माना गया है। क्योंकि उस अधिनियम में किसी भी अपवाद को मंजूरी नहीं दी गई है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना एक अपराध है, पीड़ित/आरोपी की आपसी सहमति अथवा उसका लिंग भेद अथवा उसकी वैवाहिक स्थिति अथवा आयु चाहे जो भी हो।

हालांकि, यह प्रस्तावित है कि दो युवावय व्यक्तियों के बीच सहमति के साथ संपन्न किसी लैंगिक संबंध को एक अपराध नहीं माना जाना चाहिए। वरना ऐसे कृत्य से जुड़े दोनों युवावय व्यक्तियों को POCSO अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसके विपरीत, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत बलात्कार संबंधित कानून में वर्ष 2013 में हुए संशोधन में यौन संबंध स्थापित करने की सहमति प्रदान करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ सहमतिपूर्वक यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में दोषी पाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बलात्कार के मामले बढ़ जाएंगे। इसका एक गंभीर दुष्परिणाम यह है कि प्रसूति एवं स्त्रीरोगविज्ञानी के लिए यह जरूरी है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर संपन्न चिकित्सीय गर्भ समापन (एम टी पी) के सभी मामलों की जानकारी दें।

बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आवश्यक बातें

बाल विवाह : POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बाल विवाह और बाल विवाह के उपरांत यौन संबंध स्थापित करने को असंवैधानिक माना गया है। भारत में यद्यपि धर्मनिरपेक्ष कानून में बाल विवाह प्रतिबंधित है, परन्तु कुछ पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) के अंतर्गत इसकी मंजूरी है। जिससे ये मामले और जटिल हो जाते हैं। कानून में संशोधन के समय इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण : POCSO अधिनियम, 2012 में चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों, न्यायविदों, वकीलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस पहलू पर शोध करना, सूचना प्रदान करना, मॉनीटरिंग करना और जन सामान्य को संवेदीकृत करना बड़ी चुनौतियां हैं। बृहत् सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को प्रशिक्षित करना एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी मेडिकल अण्डरग्रेजुएट छात्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े चिकित्सकों को भी पीड़ित बालकों/बालिकाओं का साक्षात्कार करने, स्थितिक आकलन करने, साक्ष्य एकत्र करने, यौन संचारित रोगों एवं एच आई वी के लिए रोगनिरोध, परिवार के सदस्यों को परामर्श देने तथा नियमित रूप से फॉलो अप करने में प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका : बाल यौन शोषण के मामलों में जननांग में चोट के चिन्ह यदा-कदा ही देखे जाते हैं। इसलिए, बाल यौन शोषण से पीड़ित का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल जांच करने, फोरेंसिक साक्षात्कार करने में दक्षता के साथ-साथ विशिष्ट तकनीक अपनाने की आवश्यकता होती है। न्यायालय में पीड़ित बालक/बालिका से जानकारी प्राप्त करने के दौरान मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल यौन शोषण के परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य पर लघुकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को पीड़ित व्यक्तियों में मनोविकारों के विकसित होने के संदर्भ में फॉलो अप सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

रिपोर्टिंग : यह सर्वविदित है कि बाल यौन शोषण की घटनाएं आम तौर पर दर्ज नहीं की जातीं। इसके अतिरिक्त, बाल यौन अपराध को दर्ज कराना परिवार के कई सदस्यों और पीड़ित व्यक्ति के लिए भी यह एक अत्यंत वैयक्तिक निर्णय होता है। उनके लिए ऐसी घटना अत्यंत शर्मनाक तो होती ही है साथ में उन्हें हीन भावना, क्रोध, कुंठा और भावात्मक अशांति जैसी स्थितियां घेर लेती हैं। मेडिकल जांच, आपराधिक न्याय प्रणाली की जटिलताओं के कारण वे शांत रहते हैं और एक लम्बी अवधि तक उस उत्पीड़न का दंश झेलते रहते हैं। बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के इलाज से जुड़े पेशेवर चिकित्सकों (मेडिकल प्रोफेशनल्स) के लिए यह आवश्यक है कि वे यौन शोषण की घटना से जुड़ी सभी प्रकार की संदिग्ध स्थितियों की जानकारी विधिक अधिकारियों को दें। इसलिए, पेशेवर चिकित्सकों को यौन शोषण के मामलों पर नज़र रखने, स्थितियों का पता लगाने और पीड़ित बालक/बालिका से जुड़ी सभी स्थितियों को पूर्णतया आंकने की आवश्यकता है। हालांकि, POCSO अधिनियम 2012 एक उत्कृष्ट कानून है जिसके अन्तर्गत बच्चों के प्रति सभी प्रकार के यौन शोषण को एक दण्डनीय अपराध की मान्यता दी गई है। परन्तु कुछ चुनौतियों का उत्तर प्राप्त करना शेष है। बाल यौन शोषण के सभी पीड़ितों के लिए एक छत के नीचे सम्पूर्ण बृहत् सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुआयामी, बहुएजेंसी दल और मनोसामाजिक सहायता की व्यवस्था सहित बहुस्तरीय प्रयास अपनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

विश्व के अनेक देशों की तरह भारत भी बाल यौन शोषण की समस्या से जूझ रहा है। जहां पीड़ित बालक/बालिका और उसके परिवार के सदस्यों को हीन भावना, कुंठा और भावात्मक अशांति जैसी सामाजिक स्थितियों का दंश झेलना पड़ता है, मनोविकार विकसित हो जाते हैं, वहीं अस्पताल में इलाज कराने, पुलिस द्वारा न्यायालय में इस विषय पर विस्तृत बहस के दौरान अत्यन्त ही कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ता है। बाल यौन शोषण से संबंधित अपराध के लिए भारतीय संविधान में *प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज़ ऐक्ट* (POCSO) 2012 के तहत जिम्मेदार अपराधी के लिए दण्ड का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। बाल यौन शोषण से पीड़ित बालक/बालिका को भावात्मक और मनोसामाजिक सहायता पहुंचाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यह आलेख आई सी एम आर द्वारा प्रकाशित *'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च'* के जुलाई, 2015 अंक में *'चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज : इस्यूज़ ऐण्ड कंशंर्स'* शीर्षक से प्रकाशित लेख पर आधारित है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान (आई सी एम आर) द्वारा द्वितीय प्रो. पी. पी. तलवार व्याख्यान का आयोजन

आई सी एम आर के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को द्वितीय प्रो. पी. पी. तलवार व्याख्यान का आयोजन किया गया। आई सी एम आर मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से सम्मानित, पूर्व सांसद (राज्य सभा) एवं भारत वर्ष में हरित क्रान्ति के जनक के रूप में विख्यात प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में उपस्थित थे। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की सचिव एवं आई सी एम आर की महानिदेशक डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिष्ठित अतिथियों में आई सी एम आर के पूर्व महानिदेशक प्रो. एन. के. गांगुली, आई सी एम आर के पूर्व अपर महानिदेशक डॉ बी. एन. सक्सेना एवं डॉ पदम सिंह सम्मिलित थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान के निदेशक प्रो. अरविन्द पाण्डेय ने सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रो. स्वामीनाथन; इस कार्यक्रम की अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित अतिथियों के साथ-साथ सभागार में उपस्थित अन्य सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इस पुरस्कार से संबंधित जानकारी प्रदान की और प्रो. स्वामीनाथन को आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया।

डॉ स्वामीनाथन ने ***'पोषण एवं स्वास्थ्य के साथ कृषि को जोड़ने (लिंकिंग एग्रीकल्चर विद न्युट्रीशन ऐण्ड हेल्थ)'*** पर एक अत्यन्त रोचक एवं सूचनापरक व्याख्यान दिया। उन्होंने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एम डी जी)-3 के अन्तर्गत निर्धारित सभी आयु वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, देश में भूख को जड़ से मिटाने तथा सभी के लिए स्वास्थ्य के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में कृषि के क्षेत्र में सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया। छोटे बच्चों में कुपोषण, क्षयरोग (टी. बी.) के रोगियों के चिकित्सा-प्रबंध, आदि जैसे अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए डॉ स्वामीनाथन के इस प्रासंगिक विषय पर व्याख्यान से सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण लाभान्वित हुए।

व्याख्यान के उपरांत प्रो. स्वामीनाथन को शॉल प्रदान करके और स्मृति चिन्ह एवं व्याख्यान पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। व्याख्यान के दौरान सभागार में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान, आई सी एम आर एवं इसके दिल्ली स्थित संस्थानों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। अंत में मंचासीन सभी अतिथियों एवं सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

स्मृति शेष

डॉ विनोद प्रकाश शर्मा (1938 - 2015)

डॉ विनोद प्रकाश शर्मा मलेरियाविज्ञान एवं कीटविज्ञान के क्षेत्र में अपने ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे। उन्होंने वेक्टर (रोगवाहक) जैविकी और मलेरिया के जैवपर्यावरणी नियंत्रण में अनुकरणीय कार्य किया है। पद्मश्री पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत डॉ शर्मा को भारत सरकार ने पुनः वर्ष 2014 में तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉ शर्मा का जन्म दिनांक 6 अप्रैल, 1938 को उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में हुआ था। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने 1960 में एम. एससी. और 1964 में डी. फिल. की उपाधियां प्राप्त कीं। वर्ष 1965 में वे संयुक्त राज्य अमरीका के साउथ बेण्ड, इंडियाना गए और नॉत्रे दाम विश्वविद्यालय में एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट के रूप में प्रवेश लिया, परन्तु बाद में संयुक्त राज्य अमरीका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय से जुड़े। डॉ शर्मा वर्ष 1968 में भारत वापस आए और प्रो. उमा शंकर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में D.Sc से संबंधित शोध कार्य पूरा करने के लिए पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहां से वर्ष 1979 में उन्होंने यह उपाधि ग्रहण की।

डॉ शर्मा ने वर्ष 1969 में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में एक पूल अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। एक वर्ष पश्चात वर्ष 1970 में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक परियोजना के साथ क्युलिसीन मच्छरों के आनुवंशिक नियंत्रण पर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में संबद्ध हुए और वर्ष 1975 तक कार्य किया। उन्होंने मच्छरों के लिंग पृथक्करण हेतु एक तकनीक विकसित की। तत्पश्चात वर्ष 1976 में वे वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र और मलेरिया अनुसंधान यूनिट से उपनिदेशक के रूप में संबद्ध हुए। वर्ष 1978 में वे मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के साथ उपनिदेशक के रूप में सम्मिलित हुए।

उन्होंने मलेरिया अनुसंधान केन्द्र को अपग्रेड करने की शुरुआत की और अपनी दूरदर्शिता के आधार पर भेषजगुणविज्ञान प्रभाग, GIS प्रभाग और मलेरिया जैव-वेक्टर नियंत्रण की स्थापना की जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग बन गया है। उन्होंने वर्ष 1981 में *इंडियन जर्नल ऑफ मलेरियोलॉजी* के नाम से जर्नल की पुनः शुरुआत की जो वर्तमान में *जर्नल ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीज़ेज़* नाम से ज्ञात है। डॉ शर्मा मलेरिया अनुसंधान केन्द्र जिसे अब राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, के संस्थापक-निदेशक थे। वे वर्ष 1998 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अपर महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

डॉ शर्मा *"दि जर्नल ऑफ पैरासिटिक डिसीज़ेज"* नामक उस जर्नल के मुख्य सम्पादक थे जिसके माध्यम से समीक्षाएं और शोध पत्रों के प्रकाशन द्वारा नियमित रूप से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। वे *नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ इंडिया* के इन-हाउस जर्नल के भी प्रमुख सम्पादक थे। उन्होंने अंग्रेजी और हिन्दी दोनों माध्यमों में जैवपर्यावरणी नियंत्रण और वेक्टर जैविकी विषयों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अंग्रेजी में प्रकाशित उनकी प्रमुख पुस्तकों में सम्मिलित हैं : *सेफ वाटर फॉर कम्यूनिटी हेल्थ, ह्युमन पैरासिटिक इनफेक्शंस ऑफ फार्मास्युटिक्स ऐण्ड नेशनल हेल्थ इंपार्टेंस, नेचर ऐट वर्क : ऑनगोइंग सागा ऑफ इवोल्यूशन* तथा *वूमेन ऐण्ड डेवलपमेंट : ग्रीन टेक्नोलॉजीज़*। उन्होंने हिन्दी में भी पुस्तकों के साथ-साथ सुप्रसिद्ध जर्नल्स में 300 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।

वर्ष 1980 में मुझे उनके कुशल मार्गदर्शन में एक जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1986 में उनके पर्यवेक्षण में पी एचडी प्राप्त करने वाला मैं प्रथम छात्र था। एक वैज्ञानिक के रूप में मेरे रचनात्मक वर्षों के दौरान मुझे उनके रूप में एक उत्कृष्ट एवं सुयोग्य वैज्ञानिक से सीखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। पन्द्रह वर्षों के दौरान उड़ीसा और भारत के अन्य भागों में मच्छरों के फॉना पर सम्पन्न मेरे फील्ड कार्य के परिणामस्वरूप उनके साथ *इंडियन एनॉफिलाइंस,* (ऑक्सफोर्ड आई बी एच) नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जो भारत, पड़ोसी देशों और ब्रिटिश म्युज़ियम ऑफ लण्डन में आकृतिकी के आधार पर मच्छरों की पहचान करने के लिए अभी भी एक कुंजी के रूप में प्रयोग की जा रही है। डॉ शर्मा ने 9 अक्टूबर, 2015 को आखिरी सांस ली। मैं अपनी सभी प्रोफेशनल उपलब्धियां उन्हें समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना मैं इस स्थान पर नहीं पहुंच सकता था। विश्व के वैज्ञानिक समुदाय में उनकी अनुपस्थिति काफी खलेगी।

डॉ बी. एन. नागपाल
वैज्ञानिक 'एफ'
राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
द्वारका, नई दिल्ली

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के समाचार

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विभिन्न तकनीकी दलों/ तकनीकी समितियों की नई दिल्ली में सम्पन्न बैठकें:

नैनोमेडिसिन के क्षेत्र में फेलोशिप पर विशेषज्ञ दल की बैठक	1 अक्टूबर, 2015
भारत में जन्मजात रुबेला संलक्षण (CRS) की निगरानी हेतु रोडमैप पर चर्चा करने हेतु बैठक	5 अक्टूबर, 2015
सगर्भता और शिशु जन्म में उत्तम सुरक्षा पर विशेषज्ञ दल की बैठक	5 अक्टूबर, 2015
आई सी एम आर LAN प्रणाली के बृहत् वार्षिक अनुरक्षण और सुविधा प्रबंधन के संबंध में विशेषज्ञ समिति की बैठक	6 अक्टूबर, 2015
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग पर कार्यकारी दल की बैठक	6 अक्टूबर, 2015
मानव स्वास्थ्य पर नॉन-आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) पर विशेषज्ञ समिति की बैठक	7 अक्टूबर, 2015
घाटमपुर स्थित मॉडेल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट (MRHRU) की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु बैठक	12 अक्टूबर, 2015
कुष्ठरोग पर टास्क फोर्स समिति की बैठक	12 अक्टूबर, 2015
व्यापारिक उद्देश्य से मानव जैविक सामग्री के हस्तांतरण हेतु आई सी एम आर द्वारा आयात/निर्यात अनुमोदन की प्रक्रिया पर चर्चा करने हेतु बैठक	13 अक्टूबर, 2015
MIP वैक्सीन पर बैठक	13 अक्टूबर, 2015
PCT फाइलिंग हेतु भारतीय पेटेंट आवेदनों के मूल्यांकन हेतु बैठक	14 अक्टूबर, 2015
बायोमेडिकल एवं स्वास्थ्य अनुसंधान नियमन बिल 2015 पर बैठक	14 अक्टूबर, 2015
इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च (IJMR) के प्रोडक्शन हेतु उपयुक्त जर्नल प्रकाशक के चयन हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक	14 अक्टूबर, 2015
भारत में शिशु लिंग अनुपात में कमी की समस्या को दूर करने हेतु शोध प्राथमिकताओं पर विशेषज्ञ दल की बैठक	14 अक्टूबर, 2015
जीनोम नैदानिकी के किट्स से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने हेतु H1N1 पर विशेषज्ञ दल की बैठक	20 अक्टूबर, 2015
वायु प्रदूषण और श्वसनी रोग विषय पर चर्चा हेतु बैठक	27 अक्टूबर, 2015
MD/MS थीसिस के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैठक	28 अक्टूबर, 2015
मानव सहभागियों पर जैवआयुर्विज्ञान अनुसंधान हेतु आई सी एम आर एथिकल गाइडलाइंस 2006 के संशोधन हेतु सलाहकार समूह की बैठक	2 नवम्बर, 2015
प्रोबायोटिक पर आई सी एम आर टास्क फोर्स अध्ययन - II पर बैठक	2 नवम्बर, 2015
डेंगी पर टास्क फोर्स की बैठक	6 नवम्बर, 2015
राष्ट्रीय फाइलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम में तिहरे औषध विधान की शुरुआत की संभाव्यता पर चर्चा करने हेतु विशेषज्ञ दल की बैठक	9 नवम्बर, 2015

चिकित्सीय परीक्षणों हेतु नियामक पाथवे के संबंध में बैठक	9 नवम्बर, 2015
भारत में H1N1 औषधियों की उपलब्धता पर चर्चा करने हेतु विशेषज्ञों की बैठक	10 नवम्बर, 2015
HIV/AIDS और यौन संचारित रोगों पर परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	16 नवम्बर, 2015
विषाणुज अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला पर विशेषज्ञ समूह की बैठक	17 नवम्बर, 2015
पशुजन्य रोग और पेस्टीसाइड्स के प्रयोग पर ICMR-ICAR इंटरफेस बैठक	18 नवम्बर, 2015
स्टेम सेल अनुसंधान और थिरैपी के लिए राष्ट्रीय शीर्ष समिति (NAC-SCRT) की 15वीं बैठक	19 नवम्बर, 2015
वैज्ञानिक प्रमाण से नीति रूपांतरण पर विशेषज्ञ दल की बैठक	19 नवम्बर, 2015
बायोमेडिकल शोध बोर्ड की बैठक	24 नवम्बर, 2015
राष्ट्रीय फाइलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम में तिहरी औषध चिकित्सा की शुरुआत करने की संभाव्यता हेतु प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति की प्रथम बैठक	26 नवम्बर, 2015
उच्च रोग स्थानिक क्षेत्रों में NLEP के अंतर्गत प्रतिरक्षा चिकित्सीय और प्रतिरक्षा रोगनिरोध के रूप में MIP वैक्सीन के प्रयोग नामक परियोजना से संबद्ध पहलुओं पर चर्चा करने हेतु बैठक	26 नवम्बर, 2015
व्यापारिक उद्देश्य से मानव जैविक सामग्री के हस्तांतरण हेतु आवेदनों के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक	26 नवम्बर, 2015
स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान प्रभाग की बैठक	27 नवम्बर, 2015

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गतिविधियों में आई सी एम आर के वैज्ञानिकों की भागीदारी

चेन्नई स्थित राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक 'ई' डॉ सी. पदमाप्रियदर्शिनी ने जेनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में "चिकित्सीय अनुसंधान हेतु ग्लोबल कोर कॉम्पीटेंसी फ्रेमवर्क के विकास पर WHO कार्यशाला" में एक अस्थाई सलाहकार के रूप में भाग लिया (29-30 सितम्बर, 2015)।

मुम्बई स्थित राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, आनुवंशिक अनुसंधान केन्द्र की वैज्ञानिक 'ई' डॉ बीना जोशी ने मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में संपन्न "वैश्विक मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सम्मेलन" में भाग लिया (18-21 अक्टूबर, 2015)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 'डी' डॉ एस. डी. पवार और वैज्ञानिक 'सी' डॉ वर्षा ए. पोतदार ने अटलांटा, सं. रा. अ में संपन्न "2015 सीक्वेंसिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया (26 अक्टूबर, से 6 नवम्बर, 2015)।

राष्ट्रीय जानपदिक रोगविज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक 'डी' डॉ प्रभदीप कौर ने कोलम्बो, श्रीलंका में श्रीलंका के विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्रोल ऑफिस में WHO परामर्शक के रूप में कार्य किया (1 नवम्बर, 2015 से 31 जनवरी, 2016)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक 'बी' डॉ स्वरली कुरले ने काठमाण्डू, नेपाल में सम्पन्न "विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम" में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया (2-6 नवम्बर, 2015)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 'ई' डॉ बी. ए. टाण्डेल ने हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में संपन्न "प्रकोप अध्ययन कार्यशाला" में भाग लिया (2-6 नवम्बर, 2015)।

मुम्बई स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षारुधिरविज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक 'सी' डॉ स्वाति कुलकर्णी ने बाली, इण्डोनेशिया में संपन्न (i) द्वितीय ग्रैन्युलोसाइट इम्यूनोबायोलॉजी प्रैक्टिक्स (MAIGA तकनीक पर प्री कांफ्रेंस वर्कशाप) (12-13 नवम्बर,) तथा (ii) अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी रक्ताधान की 25वीं क्षेत्रीय कांग्रेस में भाग लिया (14-16 नवम्बर,) (12-16 नवम्बर, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ अश्विनी कुमार ने जेनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में सम्पन्न "विश्व स्वास्थ्य संगठन के चतुर्थ वेक्टर नियंत्रण सलाहकार समूह" की बैठक में भाग लिया (16-18 नवम्बर, 2015)।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के वैज्ञानिक 'डी' डॉ जे. श्रीनिवास ने सैन फ्रांसिस्को, सं. रा. अ में संपन्न "खाद्य रसायन एवं प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लिया (16-18 नवम्बर, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विकृतिविज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक 'एफ' डॉ पूनम सलोत्रा ने विएना, आस्ट्रिया में संपन्न TWAS 13वां जनरल सम्मेलन तथा 26वीं जनरल बैठक में भाग लिया (17-21 नवम्बर, 2015)।

मुम्बई स्थित आंत्रविषाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक 'ई' डॉ वी. के. सक्सेना तथा पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान की वैज्ञानिक 'डी' डॉ प्रज्ञा डी. यादव ने बैंकॉक, थाइलैण्ड में संपन्न "पोलियोवाइरस प्रयोगशाला संशोधन पर क्षेत्रीय कार्यशाला" में भाग लिया (23-24 नवम्बर, 2015)।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ के. माधवन नायर ने कोलम्बो, श्रीलंका में संपन्न "मातृ एवं शिशु पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लिया (23-24 नवम्बर, 2015)।

पटना स्थित राजेन्द्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'डी' डॉ विजय कुमार ने फ्रीबर्ग, जर्मनी में संपन्न "भारतीय उपमहाद्वीप में अंतरांग लीशमैनियता (VL) समाप्त करने की पहल को सहायता देने हेतु किफायती VL रोगी की पहचान तथा वेक्टर पर नियंत्रण पर WHO के विशेषज्ञों की बैठक (23-25 नवम्बर, 2015)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 'जी' एवं निदेशक डॉ डी. टी. मौर्य ने यांगन, म्यानमार में संपन्न "ऑनसाइट प्रशिक्षण देने एवं मूल्यांकन करने हेतु एक APW प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन संबद्ध कार्यक्रम में भाग लिया (23-27 नवम्बर, 2015)।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के वैज्ञानिक 'ई' डॉ के. वी. राधाकृष्णा ने बाद सोडेन एम टानस, जर्मनी में सम्पन्न विशिष्ट आहारीय प्रयोगकर्ताओं हेतु पोषण और खाद्य पर कोड्स समिति के 37वें सत्र में भाग लिया (23-27 नवम्बर, 2015)।

पडुचेरी स्थित रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक 'ई' डॉ एस. सुब्रामणियन ने रोटरडैम, दि नीदरलैण्ड्स में संपन्न "LF मॉडेलिंग सहयोगी बैठक" में भाग लिया (23-27 नवम्बर, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान की वैज्ञानिक 'डी' डॉ (श्रीमती) तुलसी अधिकारी ने बैंकॉक, थाइलैण्ड में सम्पन्न "अंतर्राष्ट्रीय जानपदिक रोगविज्ञानी संस्था की 12वीं SEA क्षेत्रीय वैज्ञानिक बैठक" में भाग लिया (24-26 नवम्बर, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'ई' डॉ अनुप कुमार अन्विकर ने जेनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में सम्पन्न "मलेरिया माइक्रोस्कोपी हेतु स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) को अंतिम रूप देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक" में भाग लिया (25-27 नवम्बर, 2015)।

पुणे स्थित राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रभारी निदेशक डॉ आर. आर. गंगाखेडकर तथा चेन्नई स्थित राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक 'डी' डॉ बीना थॉमस ने टोक्यो, जापान में सम्पन्न "HIV/AIDS" पर कार्यान्वयन शोध को बढ़ाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की द्विक्षेत्रीय परामर्शक बैठक में भाग लिया (29-30 नवम्बर, 2015)।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक 'ई' डॉ अनुप कुमार अन्विकर ने मेट्रो मनीला, फिलीपींस में सम्पन्न "मलेरिया RDT लॉट टेस्टिंग कार्यक्रम-QA कार्यशाला" में भाग लिया (30 नवम्बर, 2015 से 3 दिसम्बर, 2015)।

आई सी एम आर की वित्तीय सहायता में सम्पन्न एवं भावी संगोष्ठियां
सेमिनार/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/सम्मेलन

विषय	दिनांक एवं स्थान	सम्पर्क के लिए पता
PSYCON - 2015, नशे की आदत, व्यवहार समस्याओं और मादक द्रव्यों के उपयोग से संबद्ध विकारों पर सी एम ई	16-17 अक्टूबर, 2015 लखनऊ	**ले. कर्नल बी. के दत्ता** कमाण्ड हॉस्पिटल (CC) लखनऊ (यू. पी.)
साइटोमीट्री समाज की 8वीं वार्षिक बैठक और 16वीं भारत अमेरीका साइटोमीट्री कार्यशाला 2015	24-28 अक्टूबर, 2015 मुम्बई	**डॉ प्रशांत तेम्भारे** टाटा मेमोरियल सेंटर मुम्बई
केन्द्रीय श्रवण प्रसंस्करण विकारों के आकलन और चिकित्सा प्रबंध पर सेमिनार	28-29 अक्टूबर, 2015 मैसूर	**डॉ प्रवीन कुमार** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच ऐण्ड हियरिंग मैसूर

नृविज्ञान : रहस्यों के अनावरण पर संगोष्ठी	28-29 अक्टूबर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ रश्मि सिन्हा** स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, IGNOU नई दिल्ली
सामुदायिक नेत्र रोग विज्ञानियों की अंतर्राष्ट्रीय सभा एवं भारतीय सामुदायिक नेत्ररोग विज्ञानियों की संस्था का 6ठा वार्षिक सम्मेलन	30 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2015 लखनऊ	**डॉ विशाल कटियार** किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ
GISICON-2015	6-7 नवम्बर, 2015 जम्मू	**डॉ संदीप डोगरा** गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू
कृत्रिम लिम्ब प्रौद्योगिकी हेतु मस्तिष्क तरंगों के विश्लेषण हेतु उभरते साधनों पर सेमिनार	6-7 नवम्बर, 2015 नामक्कल	**डॉ एस. नित्या कल्याणी** BCIRC के. एस. आर. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुचेंगोड नामक्कल (तमिल नाडु)
ए.पी. साइंस कांग्रेस-2015	7-9 नवम्बर, 2015 तिरुपति	**डॉ एस. विजय भास्कर राव** एस.वी.यूनिवर्सिटी तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश)
रेडियो विज्ञान पर द्वितीय USRI क्षेत्रीय सम्मेलन	16-19 नवम्बर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ पॉलराज राजामणि** स्कूल ऑफ एंवायरॉनमेंटल साइंसेज़ जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली
CYTOCON-2015	19-22 नवम्बर, 2015 देहरादून	**डॉ अनुराधा कुसुम** हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ देहरादून
भारतीय जन स्वास्थ्य दंत विज्ञान संस्था का 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन	20-22 नवम्बर, 2015 मनीपाल	**डॉ राम प्रसाद वी.पी.** डेंटिस्ट्री मनीपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज़ मनीपाल यूनिवर्सिटी मनीपाल
BPCON-2015 भारतीय उच्च रक्तचाप समाज का 25वां वार्षिक सम्मेलन	20-22 नवम्बर, 2015 फरीदाबाद	**डॉ ए. के. पाण्डेय** ESIC मेडिकल कॉलेज ऐण्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद
भारत में पैलिएटिव देखभाल पर सेमिनार	27-28 नवम्बर, 2015 श्रीनगर (ज. एवं क.)	**श्रीमती हसीना वानी** शेरे - कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ श्रीनगर (ज. एवं क.)

39वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस	1-5 दिसम्बर, 2015 इलाहाबाद	**डॉ एन. पी. चौबे** इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज़ ईश्वर शरण आश्रम कैम्पस इलाहाबाद
नेशनल फार्मेकोथिरैप्युटिक्स संस्था का 4th अंतर्राष्ट्रीय और 7th राष्ट्रीय सम्मेलन (ISRPTCON-2015)	4-6 दिसम्बर, 2015 चण्डीगढ़	**डॉ बिकाश मेधी** स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़
बाल मूत्रविज्ञान में प्रगति पर कार्यशाला	5-6 दिसम्बर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ एम. बाजपेयी** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली
17 भारतीय सामाजिक विज्ञान और स्वास्थ्य संघ के लिए का तेरहवां वार्षिक सम्मेलन (IASSH)	10-12 दिसम्बर, 2015 तिरुवनंतपुरम	**डॉ पी मोहन चन्द्रन नायर** केरल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम
कंप्यूटेशन जीवविज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	11-14 दिसम्बर, 2015 भोपाल	**डॉ आर. एस. ठाकुर** मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल
स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक एक्सपोज़र के प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	16-18 दिसम्बर, 2015 नई दिल्ली	**डॉ टी. के. जोशी** सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल ऐण्ड एंवायइरॉनमेंटल हेल्थ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली
जीवविज्ञान में 11वां राष्ट्रीय अनुसंधान स्कॉलर्स का सम्मेलन - 2015	17-18 दिसम्बर, 2015 मुम्बई	**श्री गोपालभाई चोवाटिया** एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च ऐण्ड एजूकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर मुम्बई
सोसाइटी फॉर बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स इंडिया (SBTI) की वार्षिक बैठक 2015 तथा जैवआयुर्विज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी में ताजा प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन	17-19 दिसम्बर, 2015 कोची (केरल)	**डॉ सी. एस. पाउलोस** कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐण्ड टेक्नोलॉजी कोचिन (केरल)
जैविक विज्ञान में चुनौतियों और प्रगति पर IAAM का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन	18-19 दिसम्बर, 2015 रासीपुरम ाामक्कल	**डॉ एस. अन्बलगन** मुथायामुल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐण्ड साइंस रासीपुरम नामक्कल (तमिल नाडु)
कटिंग एज भेषजगुणविज्ञान : समकालीन मुद्दे एवं भावी चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	18-20 दिसम्बर, 2015 राजकोट	**डॉ सचिन परमार** सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट गुजरात

आण्विक मॉडेलिंग और औषध डिज़ाइन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	19 दिसम्बर, 2015 सागर	**डॉ वर्षा काशा** सागर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज़ सागर (म.प्र.)
कोशिका एवं आण्विक जैविकी में दिशाओं पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (TCMB 2015)	19-21 दिसम्बर, 2015 गोवा	**डॉ अंग्शुमन सरकार** BITS पिलानी के. के. बिडला गोवा कैम्पस गोवा
औषधीय पादप अनुसंधान एवं हर्बल प्रौद्योगिकी में नवीन दिशाओं पर राष्ट्रीय सेमिनार	2-3 जनवरी, 2016 सतना	**डॉ मनोज कुमार त्रिपाठी** आरोग्यधाम दीनदयाल अनुसंधान संस्थान सतना
उन्नत स्टॉकैस्टिक मॉडेलिंग एवं डाटा एनालिटिक्स में गणितीय एल्गोरिद्म पर कार्यशाला	4-9 जनवरी, 2016 तिरुपति	**डॉ के.वी.एस.सरमा** एस.वी.यूनिवर्सिटी तिरुपति
फ्री रैडिकल रिसर्च इंडिया संस्था की 11वीं वार्षिक बैठक तथा आयोनाइज़िंग विकिरण, मुक्त मूलक ऑक्सीकररोधियों और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ में ट्रांसलेशनल अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	7-9 जनवरी, 2016 कल्याणी (नाडिया)	**डॉ तन्मय साहा** कॉलेज ऑफ मेडीसिन ऐण्ड जे एन एम हॉस्पिटल WBUHS, कल्याणी (नाडिया)
जन्तु प्रयोग के विकल्प : वर्तमान स्थिति और चुनौतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला	8-9 जनवरी, 2016 उदयपुर	**डॉ वीरेन्द्र सिंह** गीतांजलि फार्मेसी संस्थान गीतांजलि विश्वविद्यालय उदयपुर
37वां वार्षिक राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिकॉन सम्मेलन 2016	8-10 जनवरी, 2016 अहमदाबाद	**डॉ कल्पेश ए. शाह** बी. जे. मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद
पोषणज भेषजगुण विज्ञान एवं कैलोरी के पार विषविज्ञान पर ISVPT का 15वां वार्षिक सम्मेलन	14-16 जनवरी, 2016 करनाल	**डॉ धीर सिंह** राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान (NDRI) करनाल
किशोरवय पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के फील्ड कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक कार्य के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए किशोरवय के मनोसामाजिक कल्याण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	19-21 जनवरी, 2016 बैंगलोर	**डॉ शीजा रेमानी बी.** करलम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर
7वां अष्टांगहृदया सत्रम- आयुर्वेद पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	24-31 जनवरी, 2016 कोलम	**डॉ पी. गौरीशंकर** स्वदेशी साइंस मूवमेंट कोच्ची

जैव-प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICBN-2016)	30 जनवरी - 1 फरवरी 2016 जयपुर	**प्रो. श्रीमोई चटर्जी** IIS यूनिवर्सिटी जयपुर
विकिरण अनुसंधान : मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICRR-HHE- 2016)	11-13 फरवरी, 2016 मुम्बई	**डॉ बी.एन. पाण्डेय** भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सेंटर मुम्बई
अस्थि मज्जा विकृतिविज्ञान अपडेट पर सी एम ई - 2016	14 फरवरी, 2016 हलद्वानी	**डॉ नवीन थपलियाल** गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज हलद्वानी
बायोथिरैप्युटिक्स के रूप में पादपरसायन-प्राकृतिक उत्पादों के रहस्य खोलने पर सम्मेलन (HERBESCON 2016)	17-18 फरवरी, 2016 चेन्नई	**डॉ ए. सुमति** श्री रामचन्द्र विश्वविद्यालय चेन्नई
व्यावसायिक, पर्यावरणी और जीवनशैली संबद्ध कारकों पर विशेष बल के साथ प्रजनन स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	18-20 फरवरी, 2016 अहमदाबाद	**श्री पी.बी. डॉक्टर** राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद
सोसायटी फॉर इथनोफार्मेकोलॉजी की तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस	19-21 फरवरी, 2016 रायपुर	**डॉ ए.के. पति** सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज़ (NCNR) पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीस गढ़)
नैनोसाइंस और प्रौद्योगिकी में फ्रंटियर्स पर चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (COCHIN NANO 2016)	20-23 फरवरी, 2016 कोची	**प्रो. एम. आर. अनंतारमण** कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐण्ड टेक्नोलॉजी कोची (केरल)
MICRON 2016	24-26 फरवरी, 2016 सिलचर	**डॉ इंदू शर्मा** असम विश्वविद्यालय सिलचर (असम)
इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का 60वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन- (IPHACON-2016)	4-6 मार्च, 2016 देहरादून	**डॉ प्रदीप अग्रवाल** हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ देहरादून

सहयोग : श्रीमती वीना जुनेजा, श्रीमती सरिता नेगी

आई सी एम आर पत्रिका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icmr.nic.in पर भी उपलब्ध है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

सेमिनार/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए परिषद द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णतया भरे हुए केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि के आरम्भ होने की तारीख से कम से कम चार महीने पूर्व भेजे जाएंगे।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए मैसर्स रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स,
ए–89/1, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 028 से मुद्रित। पं. सं. 47196/87